



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 522] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25, 1978/अग्रहायण 4, 1900
No.522] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 1978/AGRAHAYANA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के
रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1978

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 682 (अ)/सं० ई(सी)ओ, 1977/ए०एम (79) :--प्रायात तथा निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 के प्रसंगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और अपने संशोधन करने के लिए एनद्-
द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :--

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 45वां संशोधन आदेश, 1978 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977, खुले सामान्य नोटिसेस-3 में :--

(क) क्रम सं० 32 पर वर्तमान उ-मद (1), (2), (3) (4) और (5) को क्रमशः

उप-सद (2), (3), (4), (5) एवं (6) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

(ख) निम्नलिखित उप-सद (1) को क्रम सं० 32 के अंतर्गत जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
“(1) कपास के रेशे		बी०, 68	निर्यात की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी :—
			1. वस्त्र आयुक्त द्वारा आवंटन और जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण के आधार पर।
			2. वस्त्र आयुक्त अपील समिति द्वारा निर्यात किए जाने वाले कपास के रेशे की क्षमालिटी और मात्रा के संबंध में।”

[मिसिल सं० 2/22/78-ई०/1]

बी० एल० दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 25th November, 1978

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

S.O.682(E)/No.E(C)O, 1977/AM(79):— In exercise of the powers conferred, by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the exports (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Forty-fifth Amendment Order, 1978.
- (2) In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL. 3:—
 - (a) the existing sub-items (i), (ii), (iii), (iv) and (v) of S.No. 32 shall be re-numbered as sub-items (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) respectively.
 - (b) the following sub-item (i) shall be inserted under S.No. 32:—

1	2	3	4
“(i) Staple Cotton	B.68	Export will be allowed subject to the following conditions:—	
		1. Against allocation and registration certificate issued by Textile Commissioner.	
		2. Certificate regarding quality/quantity of staple cotton intended for export issued by The Textile Commissioner's Appeal Committee.”	

[F.No.2/22/78-EI]

B. L. DAS, Joint Secy